41/0

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT&LUXURY TAX L- BLOCK: VIKAS BHAWAN:I.P.ESTATE:NEW DELHI-110002 (ADMINISTRATION BRANCH)

No. F.8(4)/2019/RR/Excise/Estt./Pt/File/ 2114

Dated: 19 9 23

CIRCULAR

Sub:- Amendment of RRs for the post of Multi Tasking Staff (MTS).

Reference is invite to all stake holders of Excise Department that the draft of amendments to Recruitment Rules for the post of MTS has been vetted by Law Department, GNCTD. Prior to place the file before the approval of the Competent Authority, i.e. Hon'ble Lt. Governor, Delhi, the draft of said RR is being uploaded on the website for the department for 30 days for eliciting comments/view of the stake holders, if any as per instruction contained in DoPT OM No. AB-14017/61/2008-Estt. (RR) dated 13.10.2015.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

(Virender Kumar) Section Officer (Admn.)

To

Concerned Stake Holders Excise Department, GNCTD L-Block, Vikas Bhawan New Delhi-110002 (TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE - PART-IV EXTRA ORDINARY)



GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTERTAINMENT & LUXURY TAX)

Dated:

2023

NOTIFICATION

No.F.8(4)/2019/R.R/Excise/Estt./Pt.file/:- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number G.S.R 840, dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regarding the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff(Group-'C') in the Office of the Commissioner Excise, Entertainment and Luxury Tax, Delhi, namely:-

- 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix: The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.:- The method of recruitment, age-limits, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.
- 4. Disqualification: No person,-
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
- 6. Saving Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

59

SCHEDULE

NAME OF THE POST.	NUMBER OF POST.	CLASSIFICATION.	LEVEL IN PAY MATRIX.	WHETHER SELECTION POST OR NON- SELECTION POST.
(1.) Multi-Tasking Staff (Erstwhile Group 'D' posts of Orderly, Helper, Farash, Peon, Security Guard, Chowkidar etc.	(2.) 39*(2023) Subject to variation dependent on workload	(3.) Group-C, Non- Gazetted, Non- Ministerial	(4.) Pay Level-1 (Rs. 18000-56900)	(5.) Not applicable
AGE LIMIT FOF RECRUITS.	R DIRECT	EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY.
((6.)	(7.)	(8.)	(9.)
Between 18 -25 yr Note: The cridetermining the atthe closing date application from India (and not prescribed for the Meghalaya, Arun Mizoram, Mani Tripura, Sikl Lahual & Spiti de Sub Division of of Himachal Pra & Nicobar Lakshadweep).	ucial date for age limit shall be e for receipt of candidates in the closing date nose in Assam, rachal Pradesh, pur, Nagaland, kim, Ladakh, istrict and Pangi Chamba district adesh, Andaman Islands or	Matriculation or equivalent pass	Not applicable	Two years
through the Exchange, the determining the be the last date Employment Ex to submit the nate of the submit the material submit the material submit the material submit the submit	is made through ny other similar gencies in that e limit will be			

51/0

METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEP UTATION/ABSOR PTION,)	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANC ES IN WHICH UPSC IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
(10.)	(11.)	(12.)	(13.)
100% from direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation): 1. Pr. Secretary/Secretary (PWD) - Chairperson 2. Head of the Department concerned – Member 3. Dy. Secretary (UD) – Member 4. Nominated Officer - Member (SC/ST)	Not applicable

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ASSTT. COMMNR. (ADMN.)

No.F.8(4)/2019/R.R/Excise/Estt./Pt.file/

Dated:

2023

- 1. The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.
- 2. The Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 3. The Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi.
- 4. The Secretary (AR), Administrative Reforms Deptt., Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Secretary (Finance), Finance Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 6. The Secretary (L&J), Deptt. of Law & Judicial, Govt. of NCT of Delhi.
- 7. The Secretary (GAD) & Co-ordination, General Administration Department, Govt. of NCT of Delhi in duplicate for publication in the Delhi Gazette, Part-IV(Extra Ordinary), Copies of the Gazette may please be supplied to this Department and Services Department separately for official use.

ASSTT. COMMNR. (ADMN.)

Dated:

2023

(दिल्ली राजपत्र भाग—IV असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालय आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर

फा0सं0 8(4)/2019/आरआर/आब0/स्था0/पार्ट फाइल/

दिनांकः

अधिसूचना

फाठसंठ 8(04)/2019/आरआर/आब०/स्था०/पार्ट फाइल/ ः— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 840 के साथ पिठत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, कार्यालय—आयुक्त आबकारी, मनोरजंन एवं विलासिता कर में मल्टी टास्किंग स्टाफ (ग्रुप—ग) के पद की भर्ती पद्धित के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को ''मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती नियमावली, 2020'' कहा जायेगा।
- (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :— उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति,
 (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
 - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. बचाव :— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम		मल्टी टास्किंग स्टाफ (अर्दली, हैल्पर, फराश, चपरासी, सुरक्षा गार्ड, चौकीदार इत्यादि के पूर्व समूह—'घ' के पद)
2.	पदों की संख्या		39 *(2020) * परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	•	समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	स्तर-1 (18000-56900 / -रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा		टीप: भारत में रह रहे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि आयु—सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि होगी। (लेकिन असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी सब डिवीजन तथा लाहौल एवं स्पीति जिला, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।) यदि भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो आयु सीमा निर्धारण की अन्तिम तिथि वह होगी जिसे रोजगार कार्यालय में नाम प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि माना गया है। "यदि भर्ती डीएसएसएसबी या इसी तरह की भर्ती एजेंसी के माध्यम से की जाती है तो आयु सीमा 18—27 वर्ष निर्धारित होगी।"
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ		मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष उत्तीर्ण ।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।		लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/	:	100% सीधी भर्ती द्वारा

	आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		
11.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में।		लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	•	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ): 1. प्रधान सचिव / सचिव (पीडब्ल्यूडी) – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – सदस्य 3. उप–सचिव (यूडी) – सदस्य 4. मनोनीत अधिकारी – सदस्य (एससी / एसटी)
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।		लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

सहायक आयुक्त (प्रशासन)

फा0सं0 8(4)/2019/आरआर/आब0/स्था0/पार्ट फाइल/

दिनांक :

- 1. उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 3. सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 4. सचिव (एआर), प्रशासनिक सुधार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- सचिव (वित्त), वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 6. सचिव (एल एंड जे), विधि एवं न्यायिक विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 7. सचिव (सा०प्र०वि०) एवं समन्वय, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को अनुलिपि में दिल्ली राजपत्र भाग—IV (असाधारण) में प्रकाशनार्थ। कृपया कार्यालयी उपयोग हेतु राजपत्र की प्रति की आपूर्ति इस विभाग एवं सेवा विभाग में अलग—अलग भिजवाई जाये।

सहायक आयुक्त (प्रशासन)

दिनांक: